राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांकः एफ–7(43)जन/2017/ 13095 – 13621 दिनांकः 23/10/17

समस्त उप पंजीयक
(पूर्णकालीन/पदेन)
राजस्थान।

विषय : कृषि ऋण लेने हेतु धारा 6(1) के अन्तर्गत घोषणा पत्र का पंजीयन कर शीघ्र संबंधित पक्षकार अथवा बैंक को लौटाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के ध्यान में आया है कि कृषि ऋण लेने हेतु राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाईयों एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 6(1) के अन्तर्गत पक्षकारों द्वारा बैंको से प्राप्त घोषणा पत्र का नियमानुसार पंजीयन करने में कतिपय उप पंजीयक कार्यालय द्वारा अनावश्यक रूप से विलम्ब कारित कर पक्षकारों को परेशान किया जा रहा है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि कृषि ऋण लेने हेतु राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाईयां एवं निवारण) अधिनियम–1974 की धारा 6(1) के अन्तर्गत पक्षकार के माध्यम से अथवा बैंकों से पंजीयन हेतु प्राप्त घोषणा पत्रों का बिना किसी विलम्ब के पंजीयन कर संबंधित पक्षकार अथवा बैंक को लौटाना सुनिश्चित करें, अन्यथा अनावश्यक विलम्ब की स्थिति में संबंधित उप पंजीयक/कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

16/10/17
(डॉ0राजेश शर्मा)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांकः एफ–7(87)जन/2017/ 13622 – 82 दिनांकः 23/10/17

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (संस्थागत वित्त) विभाग, राजस्थान जयपुर को आपके पत्रांक ए.25(1) आयो/संवि./2017 दिनांक 24.07.17 के क्रम में सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर, राजस्थान।
10. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को सूचनार्थ एवं विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
11. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
15. समस्त शाखाऐं, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)

F7-43-G